

प्रेषक,
रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।
राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2022

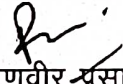
विषय:-जनपद बुलन्दशहर में तैनात आपदा विशेषज्ञ के मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1527/द्वैतीय आपदा/2021-22, दिनांक 16.02.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, बुलन्दशहर में नवनियुक्त/तैनात आपदा विशेषज्ञ के दिनांक 05.01.2022 से 28.02.2022 तक का मानदेय दिये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत **रु0 93548/- (रुपये तिरानबे हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र)** की धनराशि, निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, बुलन्दशहर के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (2) जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम-209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 में उल्लिखित जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।
- (4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
- (5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

2- उक्त स्वीकृति **रु0 93548/- (रुपये तिरानबे हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र)** की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत

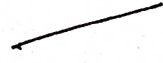
लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला
आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या-447 (1)/एक-10-2022-33(79)/2015 टी0सी0, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

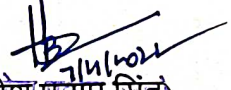
वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-07/04/2022

प्रेषण संख्या:- 447
आवंटन आदेश संख्या:- 001-447
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
07 - जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	बुलन्दशहर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	93548 93548	93548 93548
	योग	वर्तमान प्रगामी	93548 93548	93548 93548

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरानवे हजार पाँच सौ अड़तालीस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरानवे हजार पाँच सौ अड़तालीस


(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उ० प्र० शासन।